न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3350–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–09–2015 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2014–15.

1– फूलसिंह आत्मज चैनसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
2– रतनसिंह आत्मज चैनसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
3– बलवानसिंह आत्मज फूलसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
4– ज्ञानसिंह आत्मज फूलसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
5– इन्दरसिह आत्मज फूलसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
6– कल्याणसिंह आत्मज रतनसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

————आवेदकगण

विरूद्ध

1– फतेसिंह आत्मज करणसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0
2– सरदारसिंह आत्मज करणसिंह
निवासी ग्राम लसूड़लिया विजयसिंह
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २० जुलाई 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर के आदेश दिनांक 21–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 131 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत अतिरिक्त तहसीलदार आष्टा के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम लसूड़िया विजयसिंह में स्थित भूमि ख0न0 468/338/4ख एवं सर्वे कमांक 468/338/4/क की भूमि से रास्ता खुलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 01/अ–13/14–15 दर्ज किया। अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण में जबाव आदि प्राप्त करने के उपरांत पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर संहिता की धारा 32 के आवेदन पर आदेश दिनांक 21–9–15 के द्वारा प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम रूप से रास्ता खोलने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार से सांठ–गांठ कर रास्ते के संबंध में सही जांच नहीं की गई एवं संबंधित पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान न रखते हुये मनमाने ढंग से पटवारी के द्वारा तैयार किये गये झूठे पंचनामे के आधार पर रास्त खोलने संबंधी आदेश पारित किया है जो विधि विपरीत है। यह भी तर्क दिया कि पटवारी द्वारा प्रदत्त अक्स में जो लाईने डालकर रास्ता अक्स में बतलाया गया है वह मात्र दिखावटी है जिसकी पुष्टि स्थल निरीक्षण पंचनामा से भी होता है। रास्ता मात्र राजस्व अक्स में मौजूद है मौके पर नहीं, मौके पर

आवेदकगण की फसल खडी है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। किसी पक्षकार के आवेदन मात्र पर विश्वास करके उसे सही मानकर नवीन रास्ता निर्मित नहीं किया जा सकता। स्थल निरीक्षण के समय जांच दल का यह कर्तव्य था कि वह मौके की जांच कर वास्तविक एवं वैकल्पिक अन्य रास्तों की भी जांच करें किन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई जांच दल द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। मौके पर दो तरह के प्रचलित मार्ग मौजूद है लेकिन जो कभी रास्ता नहीं रह और प्रचलित मार्ग नहीं रहा उसे रास्ते के रूप में मांग की गई है जिसे तहसीलदार द्वारा रास्ते देने का आदेश दे दिया है। प्रत्यर्थीगण उक्त पुराने नाले को मूरम डालकर पूर देंगे जिससे पानी भर जावेगा और वारिश में लगभग 20 एकड़ की लोगों की फसल एवं भूमि डूब जायेगी। अतः अधीस्थ न्यायालय के आदेश तथ्य एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4– अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि सर्वे कमांक 468/338/4ख फतेहसिंहं एवं सर्वे कमांक 468/338/4/क सरदारसिंह की भूमिस्वामित्व की भूमि है। सर्वे कमांक 468/338/5 फूलसिंह की भूमि है। आवेदक फूलसिंह की पूर्व दिशा वाली मेड़ पर से हमेशा रास्ता रहा हैं जिसे आवेदक द्वारा नाली खोद कर बंद कर दिया है। भूमि खसरा कमांक 361/1/क, 362/1, 362/4, 141/4, 358 अनावेदकगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसपर आने जाने बैलगाड़ी माल मवेशी ट्रेक्टर लाने ले जाने का कदीमात का रास्ता है जो ग्राम लसूडलिया के ओंकारसिंह शैतालन बाई, प्रहलादसिंह, लखनसिंह, गप्पू सिंह आदि की भूमि से होता हुआ आवेदकगण की भूमि खसरा कमांक 353/1, 353/2, 359 की उत्तर दिशा वाले मेड पर से है, जिसे आवेदकगण ने दिनांक 03–10–14 से रोक दिया था। इसी सम्बन्ध में आवेदकगण ने रास्ते से न निकलने पर झगड़ा किया जिसकी रिपोर्ट थाना आष्टा में दर्ज कराई गई। यह भी तर्क दिया कि कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने से खड़ी फसल को नुकशान न हो इसलिए अंतरिम रास्ता खोलने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त तहसीलदार ने विधिवत जांच

एवं पंचनामा प्राप्त करने के उपरांत अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश दिये हैं। अतः अधीस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जाये।

5– उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण में सलग्न पटवारी प्रतिवेदन 22–6–15, पंचनामा दिनांक 19–6–15 तथा पंचनामा दिनांक 11–9–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ते को अनावेदक द्वारा रोकने संबंधी टीप अंकित की गई है जिसके आधार पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुये प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश दिये हैं। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अनावेदक पुराने नाले को पूर देंगे, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक का यह तक मात्र आशंक पर आधारित है। तहसीलदार ने अंतरिम रूप से मार्ग खोलने के आदेश दिये जिससे अनावेदक की खडी फसल को नुकशान न हो, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। आवेदक को तहसीलदार प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय अपने तर्क एवं दस्तावेजों से यह सिद्ध करने का अवसर उपलब्ध है कि उक्त मार्ग पूर्व से कायम था अथवा नहीं।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 21–9–15 स्थिर रखा जाता है तथा तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रचलित मार्ग को या नाले को पूर कर बंद करने से आसपास के कृषकों को किसी प्रकार के विवाद अथवा नुकशान का सामना न करना पडे। इन तथ्यों को दृष्टिगण रखते हुये तीन माह में उभय पक्ष के अंतिम तर्क सुनकर प्रकरण का निराकरण करें।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,